न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा

Case No.	:	BA/04/2025
Filling No.	:	BA/07/2025
CNR No.	:	MP2810-000010-2025
Date Of Registration	:	07-01-2025

सोनम ठाकुर, उम्र — 35 वर्ष,
पत्नी अमरसिंग चौहान,
निवासी आमालाईन वार्ड नंबर—17
रावनवाड़ा, थाना शिवपुरी, तहसील परासिया,
जिला छिदंवाड़ा, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केंद्र जुन्नारदेव
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0। ..... अभियोजन

———————————————————————

थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 372/2024 शासन वि0 प्रशांत मीना वगैरह धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0सं0

———————————————————————

08-01-2025 आवेदक की ओर से श्री गिरधारी धण्डोरे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 372/2024 शासन वि0 प्रशांत मीना वगैरह धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0सं0 की केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि उसकी ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र अन्य न्यायालय

व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित नहीं है। उक्त तथ्य के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से योगेन्द्र पिता सुदंरलाल माधुरे का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अभियोजन पक्ष की ओर से शपथ पत्र का खंडन न किये जाने से उक्त तथ्य सत्य मान्य किया जाता है।

आवेदक की ओर से श्री अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पत्र के माध्यम से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया कि आवेदक /अभियुक्त को थाना जुन्नारदेव द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध किया गया है, आवेदक/ अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसे ज्ञात हुआ है कि पुलिस द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के कथन के आधार पर इस प्रकरण में संलिप्त किया गया हैं उसके द्वारा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी अपराध नही किया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट में रिपोर्टकर्ता द्वारा कही भी आवेदक/अभियुक्त का नाम उल्लेख नही किया गया है। वास्तविकता यह है कि वह किसी भी ब्रांच मैनेजर प्रशांत मीणा एवं ग्राहक सेवा प्रतिनिधि अरविंद वारसे को नही पहचानती और ना ही उसने कभी आरोहन फाईनेशिंयल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की शाखा दमुआ रोड पर कोई भी पद पर कार्य किया है और ना ही अन्य महिलाओं के साथ मिलकर बेईमानीपूर्वक महिला ग्राहको के कूटरचित फर्जी वोटर आई0डी0 कार्ड का उपयोग किया है। आवेदक/अभियुक्त एक परित्यक्ता महिला है जो अपनी एकमात्र नाबालिक पुत्री के साथ निवास करती है और उसकी पुत्री की देखरेख करने वाला अन्य कोई नही है। आवेदक/अभियुक्त लगातार बीमार रहती है और उसका विभिन्न जगहो पर उपचार चल रहा है। पुलिस ने आवेदक/अभियुक्त से कोई दस्तावेज अथवा नगद राशि जप्त नही की है। धारा 437 द0प्रं0सं0 के पंरतुक से स्पष्ट है कि यदि कोई महिला बीमार अथवा वृद्व हो तो ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। वह जमानत की शर्तो का पालन करने को तैयार है। अतः जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का घोर

विरोध करते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन के संबंध मे उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए गए, केस डायरी का परिशीलन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि दिनांक 18.10.2024 को आरोहन फाईनंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी दमुआ रोड जुन्नारदेव के क्षेत्र प्रबंधक सतेन्द्र रघुवंशी ने इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र थाना जुन्नारदेव मे दिया कि वह आरोहन फाईनेंन्स सर्विसेंस लिमिटेड कपनी मे एरिया मैनेजर के पद पर पिछले एक वर्ष से पदस्थ है, उनका कार्यालय इंडियन पेट्ोल पंप के सामने दमुआ रोड जुन्नारदेव मे प्रथम तल पर पिछले 18 माह से संचालित है, प्रशांत मीणा ब्रांच मैनेजर के पद पर मई 2023 से पदस्थ थे एवं उनकी ब्रांच में अरविंद बारसे इटारसी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर मई 2023 से पदस्थ था, अरविंद बारसे का कार्य महिला ग्राहको के दस्तावेजो को एकत्रित कर उनको आरोहन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटभ करना व लोन के लिए आगे प्रोसेस करना होता है तथा ब्रांच मैनेजर का कार्य लोन के लिए प्रोसेस किये हुए महिला ग्राहको के दस्तावेजो को री वेरिफाय कर एप्रुव करना होता है।

फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट भी लेख कराया है कि महिला ग्राहको के दस्तावेज एप्रुव होने के बाद आरोहन फाईनेंस सर्विसेस लिमिटेड कंपनी के हेड ऑफिस कोलकाता से महिला ग्राहको के खाते मे लोन की राशि ट्ांसफर की जाती है, उनकी शाखा मे कुछ महिला ग्राहको के द्वारा हर माह लोन की राशि जमा नही की जा रही थी इसके बाद इसके बाद ऑडिटर द्वारा माह जुलाई 2024 मे उनकी शाखा मे आकर जांच करने पर पता चला कि ब्रांच मैनेजर प्रशांत मीणा एवं अरविंद बारसे द्वारा रिंग लीडर महिलाओं के साथ मिलकर बेईमानी पूर्वक ग्राहको के वोटर आई डी कार्ड में कूटरचना कर फर्जी वोटर आईडी दस्तावेज बनाकर उनका उपयोग करके 129 महिला ग्राहको के बैंक खातों में कुल 51,30,000/– रूपए की राशि जून 2024 के बीच वितरित की गई एवं इन 129 महिला ग्राहको के द्वारा लोन की राशि की

किश्त शाखा मे जमा नहीं की जा रही है।

फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट भी लेख कराया है कि ऑडिट टीम द्वारा पाया गया कि 31 महिला ग्राहको को 12,20,000/– रूपए उनकी शाखा द्वारा उनके खातो मे दिनांक 30.06.2024 के बीच वितरित किये गए थे जिनकी ई.एम.आई जमा न होने पर महिला ग्राहको से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की गई जिनमे उनके द्वारा रिग लीडर के द्वारा महिला ग्राहको को वितरित लोन राशि 12,20,000/– रूपए ले ली थी और उसमे अरविंद बारसे के द्वारा धोखाधड़ी किया जाना बताया गया तथा अरविंद बारसे द्वारा 04 महिला ग्राहको का लोन क्लोज करने की राशि 69,637 रूपए लिया जाना व शाखा में जमा नही किया जाना व राशि का गबन कर फरार हो जाना बताया। अभियुक्त प्रशांत मीना द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिंग लीडर महिलाओ के साथ मिलकर षड़यंत्र एवं बेईमानी पूर्वक महिला ग्राहको के कूटरचित फर्जी वोटर आई डी कार्ड तैयार कर उनका उपयोग कर उनके बैक से कुल 51,30,000/– रूपए की राशि का फर्जी तरीके से भुगतान कर गबन किया गया और अभियुक्त द्वारा 31 महिला ग्राहको के खाते से 12,20,000/– रूपए की लोन की राशि का भुगतान कर गबन किया गया है तथा 04 महिला ग्राहको से 69637 रूपए लोन क्लोज के नाम पर लेकर शाखा मे जमा न कर गबन किया गया तथा अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर पदस्थापना दिनांक 27.05.2023 से दिनांक 30.06.2024 के बीच उनकी शाखा का कुल 64,21,637/– रूपए का गबन महिला ग्राहको के वोटर आई.डी. के कूटरचित फर्जी वोटर आई डी तैयार कर किया गया। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त प्रशांत मीना एवं अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0सं0 मे पंजीबद्ध किया गया किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज नही है। अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि पुलिस थाना जुन्नारदेव द्वारा

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध कर उसे दिनांक 04.01.2025 को गिरफतार किया गया है तभी से वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04/01/2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभी अभियोग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम दर्ज नही है जिससे प्रथम दृष्टया आवेदक सोनम ठाकुर की अपराध में संलिप्तता दर्शित नही है। आवेदक परित्यक्ता 35 वर्षीय महिला होकर उस पर स्वयं की नाबालिक पुत्री के भरण पोषण की जिम्मेदारी है एवं आवेदक के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी दर्शित नही है, ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एवं प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त श्रीमती सोनम ठाकुर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त/आवेदक की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव की संतुष्टि योग्य 50,000–50,000/–(पचास हजार रूपये–पचास हजार रूपये)की सक्षम दो पृथक–पृथक स्थानीय प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत किया जाये तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे–

1– विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगी तथा अनुसंधान में सहयोग करेगी।

2– विचारण में अनावश्यक स्थगन नहीं लेते हुये पूर्णतः सहयोग करेगी।

3– प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी साक्षी को धमकी, वचन अथवा प्रलोभन से प्रभावित नहीं करेगी।

4– विचारण के दौरान समान प्रकृति का अपराध नहीं करेगी।

5— न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगी।

आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे एवं एक प्रति केस डायरी में संलग्न कर केस डायरी वापस लौटाई जावे।

जमानत पत्रावली का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर विधिवत अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

DEEPRAJ KAWADE

Digitally signed by DEEPRAJ KAWADE
Date: 2025.01.08 13:04:28 +0800

दीपराज कवड़े
अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0